

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 68]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 फरवरी 2022—माघ 15, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 4 फरवरी 2022

क्र. एफ-ए-3-01-2022-1-पांच-(13).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20, सन् 2002) की धारा 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उन उपायुक्त वाणिज्यिक कर, जो अपर आयुक्त वाणिज्यिक कर के पद का वेतनमान (लेवल क्रमांक-15, सातवां वेतनमान रुपये 1,23,100—2,15,900) प्राप्त कर रहे हैं, को उपायुक्त वाणिज्यिक कर द्वारा पारित आदेशों, परन्तु स्वयं के द्वारा पारित आदेशों को छोड़कर, के विरुद्ध लंबित एवं उद्भूत होने वाली अपीलों के लिए अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 4 फरवरी 2022

क्र. एफ-ए-3-01-2022-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-01-2022-1-पांच-(13), दिनांक 4 फरवरी 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 4th February 2022

No. F-A-3-01-2022-1-V (13).—In exercise of the powers conferred by Section 3-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, appoints the officers holding the post of Deputy Commissioner Commercial Tax and drawing salary in the pay scale of Level 15 of 7th Pay Commission Rs. 1, 23, 100—2,15,900, as Appellate Authority for the appeals pending and arising out of the order passed by the officers holding the post of Deputy Commissioner Commercial Tax but excluding the orders passed by themselves.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.